उपायुक्त का न्यायालय, कोडरमा

DFCC हेतु अधियाचित भूमि से संबंधित विविध वाद (संदेहात्मक जमाबन्दी) अभिलेख संख्या–02/17–18

राज्य बनाम दिगंबर जैन मंदिर, सभापति जितमल जैन।

आदेश

23.10.17

अपर समाहर्त्ता, कोडरमा के पत्रांक–896/रा0 दिनांक 09–06–2017 DFCC (Dedicated Freight Corridore Corporation) हेतु अधियाचित भूमि से संबंधित विविध वाद (संदेहात्मक जमाबन्दी) अभिलेख संख्या–02/2017–18 अग्रतर कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, कोडरमा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा, अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा एवं अपर समाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा आदेश फलक की पृ0सं0–01–03 पर अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन अंकित किया गया है।

कोडरमा अंचल अन्तर्गत मौजा–मोरियावां, थाना नं0–02, खाता नं0–01, कुल रकवा–0.80एकड़ भूमि (मधे रकवा–0.2056 एकड़ DFCCIL द्वारा अधियाचित) की जमाबन्दी दिगंबर जैन मंदिर, सभापति जितमल जैन के नाम से पंजी–II के पृ0सं0–133/02 पर दर्ज है। उनके द्वारा लगान रसीद संख्या–4383916 वर्ष 2010–11 प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तावित भूमि गैरमजरूआ खास खाते की है। प्राधिकार कॉलम में किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश दर्ज नहीं है। जमीन्दार रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है। अभिलेख में प्रतिवेदित है कि भूमि सुधार अधिनियम–1950 के लागू होने के उपरान्त इनकी जमाबन्दी वर्त्तमान पंजी–II में किस प्रकार कायम हुई इस संबंध में आवेदक द्वारा साक्ष्य के रूप में Form (M) प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि उक्त भूमि पर संबंधित मध्यवर्ती द्वारा सरकार से मुआवजा लिया गया है अथवा नहीं। प्रश्नगत भूमि की जमाबन्दी को भूमि सुधार अधिनियम–1950 की धारा–4H के तहत रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

अंचल अधिकारी, कोडरमा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा एवं अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा की अनुशंसा के आलोक में अपर समाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा उक्त जमाबन्दी रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

अपर समाहर्त्ता, कोडरमा से अभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त दिनांक 16–06–2017 को विपक्षी को नोटिस निर्गत कर अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया। नोटिस निर्गत करने के पश्चात सुनवाई के लिए निर्धारित 08 तिथियों तक विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जवाब दाखिल नहीं किया गया बल्कि जवाब दाखिल करने हेतु समय की माँग की जा रही है। वाद की निर्धारित तिथि 17–10–2017 को भी विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता ने जवाब दाखिल नहीं किया और समय की मांग की गयी।

सरकारी अधिवक्ता, कोडरमा द्वारा बहस के दौरान कहा गया कि विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जवाब दाखिल करने हेतु समय की माँग किया गया परन्तु जवाब दाखिल नहीं किया जा रहा है जो प्रदर्शित करता है कि विपक्षी को इस मामले में कोई अभिरूचि नहीं। वे बार–बार समय की मांग कर न्यायालय का समय बरबाद कर रहे हैं। अंचल अधिकारी, कोडरमा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा, अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा एवं अपर समाहर्त्ता, कोडरमा की अनुशंसा के आलोक में उक्त प्रश्नगत भूमि की जमाबन्दी को भूमि सुधार अधिनियम–1950 की धारा–4H के तहत रद्द की जा सकती है जो सरकार के हित में न्यायोचित है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेख में संलग्न प्रतिवेदनों एवं कागजातों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि मौजा–मोरियावां, थाना नं0–02, खाता नं0–01, कुल रकवा–0.80एकड़ भूमि (मधे रकवा–0.2056 एकड़) की कायम जमाबन्दी अवैध है।

अतः अंचल अधिकारी, कोडरमा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा, अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा एवं अपर समाहर्त्ता, कोडरमा की अनुशंसा और भूमि सुधार अधिनियम–1950 की धारा–4H के तहत विद्वान सरकारी अधिवक्ता, कोडरमा के विधिक मंतव्य के आलोक में मौजा–मोरियावां, थाना नं0–02, खाता नं0–01, कुल रकवा–0.80एकड़ भूमि (मधे रकवा–0.2056 एकड़ की जमाबन्दी दिगंबर जैन मंदिर, सभापति जितमल जैन के नाम से कायम जमाबन्दी 4(H) of Bihar Land Reform Act 1950 के अन्तर्गत रद्द की जाती है।

आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग को आदेश की सम्पुष्टि हेतु भेंजे।

Details of Land:- मौजा–मोरियावां, थाना नं0–02, खाता नं0–01, कुल रकवा–0.80एकड़ (मधे रकवा–0.2056एकड़ भूमि।

लेखापित एवं संशोधित

22/12

उपायुक्त,कोडरमा।

उपायुक्त का न्यायालय कोडरमा सत्यमेव जयते

22/12

उपायुक्त,
कोडरमा।